न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : श्री राकेश कुमार मीना (आरएएस)
मुकदमा नं0 : 53 / 2022
प्रकरण दर्ज दिनांक : 07.06.2022
प्रकरण निस्तारण दिनांक : 11.02.2023

उनवानी प्रकरण

गिर्राज बनाम राज0 सरकार

प्रार्थना पत्र अ0धा0 128राज0एल.आर.एक्ट

11.2.23 पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमी खसरा नम्बर 132 रकबा 1.4600 है0, ख0न0 324 रकबा 0.1000 है0 ख0न0 354 रकबा 0.1100 है0 ख0न0 410 रकबा 0.4400 है0 ख0न0 84 रकबा 0.0100 है0 ख0न0 87 रकबा 1.7700 है0 वाके ग्राम बूजोट तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि में से ख0न0 87 का सीमाज्ञान तहसीलदार सिकराय द्वारा दिनंक 22.05.2022 को किया जा चुका है। पूर्व के सीमाचिन्हों को जानवरो व बरसात की वजह से नष्ट हो चुके है जिसके कारण पडोसी खातेदारान द्वारा सीमाचिन्ह नहीं होने के कारण प्रार्थी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है। इसलिए प्रार्थी अपनी भूमि ख0न0 87 रकबा 1.7700 है0 की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 07.06.2022 को दर्ज रजिस्टर किया किया। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 22.05.2022 को किया जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया । पत्रावली में विचाराधीप भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसका सीमाज्ञान भी किया जा चुका है उक्त भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु प्रार्थीगण का कानूनी हक अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः न्यायालय इस विनम्र मत पर है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिकराय को वाके ग्राम बूजोट तहसील सिकराय में स्थित प्रार्थी की भूमी खसरा नम्बर 87 रकबा 1.7700 है0 पर पत्थरगढ़ी कायम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार सिकराय को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.01.2023सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी सिकराय